न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 36/2023

उनवान

1. भंवर लाल पुत्र श्री मोतीराम गुर्जर नि0 कानपुरा मजरा दोलपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।

——प्रार्थी

बनाम

1. नारायण पुत्र री रामचन्द्र गुर्जर नि0 कानपुरा मजरा दोलपुरा तह. हमीरगढ।
2. मगना पुत्र श्री रामचन्द गुर्जर नि0 कानपुरा मजरा दोलपुरा तह. हमीरगढ।
3. किशन पुत्र श्री भंवर गुर्जर नि0 कानपुरा मजरा दोलपुरा तह. हमीरगढ।
4. चम्पा पुत्र श्री भैरू गुर्जर नि0 कानपुरा मजरा दोलपुरा तह. हमीरगढ।
5. दुर्गा पुत्री भंवर गुर्जर नि0 कानपुरा मजरा दोलपुरा तह. हमीरगढ।
6. मुकेश पुत्र श्री भंवर गुर्जर नि0 कानपुरा मजरा दोलपुरा तह. हमीरगढ।
7. रेखा पुत्री हजारी गुर्जर नि0 कानपुरा मजरा दोलपुरा तह. हमीरगढ।
8. रतनी पत्नी श्री भंवर गुर्जर नि0 कानपुरा मजरा दोलपुरा तह. हमीरगढ।
9. हीरा पुत्र श्री हजारी गुर्जर नि0 कानपुरा मजरा दोलपुरा तह. हमीरगढ।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

———अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 23.05.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूॅ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 16.02.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम कानपुरा पटवार हल्का दुडिया भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 150 की आ.न. 476 रकबा 0.0632 है0, आ.न. 477 रकबा 0.0885 कुल किता 02 रकबा 0.1517है0 भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संवंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.02.2023 को पंजीवद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 लगायत 07 व 9 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 8 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 8 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा0पत्र में विपक्षी संख्या 8 का नाम डिलीट किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

प्ररतुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत वहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम कानपुरा पटवार हल्का दुडिया भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 150 की आ.न. 476 रकबा 0.0632 है0, आ.न. 477 रकबा 0.0885 कुल किता 02 रकबा 0.1517है0 भूमि स्थित है।** है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/— पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदरायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 23.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)